संख्याः नि0 2178/3–5 (उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 24 जून, 2021.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–102–07–00–उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद"हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या–FOR2-12/1/2/2021/X–2–2021 दिनांक 11 जून,2021(छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं अलॉटमेंट आई.डी.S21060270010 दिनांक 09.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–102–07–00–उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद हेतु शासन से अवमुक्त की गयी धनराशि ₹75,00,000/– (₹ पिचहत्तर लाख मात्र) का विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के उपरान्त IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को उक्त धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड बांस रेशा विकास परिषद,देहरादून को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ बजट का आवंटन करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती हैः–

1– सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–423/09(150)-2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराये जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है,यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4– कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5–आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

7–आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

8– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

9– आवंटित धनराशि को तत्काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड बांस रेशा विकास परिषद,देहरादून को उपलब्ध करा दिया जय।

10–आवंटित/जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

–2/–

संख्याः नि0 2178/3–5((उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।

2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– मुख्य कोषाधिकारी,देहरादून, उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

7– प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड बांस रेशा विकास परिषद,देहरादून।

9– वन संरक्षक,शिवालिक वृत्त,देहरादून।

10–उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0 कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-2178/3-5

आवंटन आई डी-H21060270012

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-24-JUN-2021

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	01-Forestry
	102-समाज तथा फार्म वानिकी	07-उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद
	00-उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की मानव संसाधन एवं अनुसंधान विकास	Voted

2	4	0	6	0	1	1	0	2	0	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	7500000	0	7500000
योग	0	7500000	0	7500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.75,00,000 (Rupees Seventy Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2106:0013

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून